

अधिसूचना

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- नायकपुरा प0ह0क0- 06 रा0नि0 वृत्- 02 तहसील -मुरैना उपखण्ड- मुरैना जिला-मुरैना में कुल 0.21 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- नायकपुरा, प0ह0क0-06 रा0नि0 वृत्- 02 तहसील- मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

- क. जिला मुरैना
 ख. तहसील मुरैना
 ग. ग्राम नायकपुरा
 घ. लगभग क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर
 भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	32	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.21	कुन्जमनि पुत्र पहाडसिंह सोवरनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह मु बादामी बेवा रघुवरसिंह रामधन गेंदालाल, मेहतावसिंह, रामू कालीचरन पुत्र रघुवरसिंह, भागवती पुत्री रघुवरसिंह मु मीरा बेवा पंजाबसिंह बन्टी अनील धर्मवीर नाबा पुत्र पंजाबसिंह सर माँ खुद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी बहादुरसिंह रोशन पुत्र गोपालसिंह मु विट्टो बेवा गोपालसिंह समान अमरसिंह परिमाल वा निरोत्तमसिंह ,केशवसिंह नाबा पुत्र मूंगाराम सर भाई अमरसिंह खुद मु रामदुलारी बेवा मूंगाराम समान महेन्द्रसिंह, कृपाराम, विद्याराम, पूरनसिंह, सीताराम पुत्र रामनाथसिंह समान भाग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी श्री कृष्ण, ग्यासीराम, पंचमसिंह व दारिकसिंह, रामजीलाल पुत्र पारथसिंह, रामेश्वर, वचनसिंह रनवीर वीरेन्द्रसिंह, बृजमोहन पुत्र देवीसिंह रामकेश मुकेश राजेश पुत्र वर जोरसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गजेन्द्रसिंह राम पुत्र कदमसिंह, मु. काशीबाई बेवा कदमसिंह समान फेरनसिंह पुत्र ग्याराम पुरुषोत्तम दीवानसिंह, विशालसिंह, महेन्द्रसिंह, रामराजसिंह, श्रीमानसिंह, कैलाससिंह, भरतसिंह, पुत्र भगवानसिंह मु रामरती,बेवा भगवानसिंह उर्मिला पुत्री भगवानसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामप्रसाद, गजेन्द्रसिंह जैकमसिंह पुत्र दामोदरसिंह लाली कल्लो पुत्री दामोदरसिंह मु असफाई बेवा दामोदरसिंह दीनानाथसिंह गिरन्दरसिंह, सीताराम

Am

				<p>पुत्री हरीसिंह, श्यामसुन्दर पुत्र नवलसिंह पूरनसिंह एदलसिंह पुत्र होतमसिंह मोना पुत्री होतमसिंह मु द्रोपती बेवा होतमसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी राजेन्द्रसिंह दलीपसिंह पुत्र माधूसिंह मु वनमाला बेवा माधूसिंह समान मुंशीसिंह पुत्र बलवन्तसिंह, द्वारिकाप्रसाद सियाराम पुत्र हाकिमसिंह समान सरदारसिंह पुत्र नारायणसिंह शांती बादामी प्रभा पुत्री नारायणसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी कप्तानसिंह पुत्र पंछीसिंह नाबा सर मां कंचनसिंह बेवा पछीसिंह समान मु नारायणी बेवा हाकिमसिंह दामोदर वीरेन्द्रसिंह पुत्र हाकिमसिंह सरदार पुत्र जसराम समान सुल्तानसिंह पुत्र अंगदसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मु रामवती बेवा कल्यानसिंह राकेश वा शतेन्द्र जोगेन्द्र नाबा पुत्रय कल्यानसिंह रजनी खुशबू मनीषा नाबा पुत्री कल्यानसिंह समान हरिगोविन्द वल्देव शिवलाल पुत्र गरसिंह नाहरिया पुत्र मुरली अंगद पुत्र सूरजहंस वरजोरसिंह पुत्र श्यामलाल, श्यामलाल पुत्र दनकसिंह जगदीश केदार पुत्र पीतमसिंह मु हरिकुअरि बेवा पीतमसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी बदनसिंह गनपति सुधरसिंह राजाराम पुत्र चक्रपान श्रीपति कल्यानसिंह पुत्र प्रहलादसिंह कमलसिंह मानसिंह पुत्र सियाराम पातीरमा हलुकी रोशन पुत्र रामचरन समान करनसिंह पुत्र हरिबक्स दुर्जना पत्र रामचन्द विक्रम पुत्र प्रताप हल्लू पुत्र गोविन्दा जाहरसिंह पुत्र भीखाराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी श्रीकृष्ण पुत्र विधीचन्द्र हुक्मसिंह पुत्र करनसिंह, रामधन, रामचरनसिंह रामजीसिंह पुत्र रतनलाल समान भोगीराम सरमन पुत्र रामकिशुन बैकुन्टी पुत्री रामकिशुन महावीर नत्था बचनसिंह ग्यासीराम पुत्र भोगीराम समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी शिवसिंह ग्याराम नाहरिया पुत्र चन्कपान मु विट्टो बेवा रामचित्र बट्टीपुत्र भीखा, लक्ष्मन मातादीन एवरन पुत्र अन्तराम नाबा सरमा तलफा खुद जाति गुठठा पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 13.18</p>
कुल कित्ता	01	0.210		

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।



विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे


स्थान : मुरैना

तारीख : 08/06/2020

पृष्ठांकन क्र० 10 / अ-82 / भू-अर्जन / 2018-19 / मुरैना / 4968


प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि. झांसी की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार, परगना मुरैना की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरान्त तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड हेतु।


(प्रियंका दास)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला-मुरैना (म0प्र0)

दिनांक : 08/06/2020


(प्रियंका दास)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला-मुरैना (म0प्र0)

